



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 508) पटना, मंगलवार, 25 अगस्त 2020

सं० 07-सू०प्रा०-36/2007 (खण्ड)-752
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

21 अगस्त 2020

विषय :— राज्य सरकार के सभी विभाग/निगम/निकाय/बोर्ड इत्यादि संस्थानों में ई-क्रय 2.0 प्रणाली लागू करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने सरकारी क्रय के लिए निविदा जमा करना, निविदा के मूल्यांकन के अतिरिक्त निविदा निष्पादन में विलम्ब, अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की संभावना, पारदर्शिता का अभाव आदि की समस्या के निराकरण हेतु ई-क्रय (e-Procurement) प्रणाली को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-5188 दिनांक 15.06.2009 के द्वारा लागू करने का निर्णय लिया।

उक्त संकल्प में यह प्रावधान किया गया कि ई-क्रय (e-Procurement) प्रणाली के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं बेल्ट्रॉन की होगी। तदनुसार उक्त कार्य का संपादन नोडल एजेंसी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के द्वारा किया गया। वर्तमान में राज्य के सभी खरीदारी हेतु 70 से अधिक विभाग, निगम, निकाय, बोर्ड आदि सरकारी संस्थानों में ई-क्रय प्रणाली (e-Tendering / e-procurement system) लागू है।

2. कार्यकारी एजेंसी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के पत्रांक-621 दिनांक 31.01.2020 के द्वारा ई-क्रय प्रणाली में हुए विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर ई-निविदा के विभिन्न शीर्षों के विरुद्ध प्राप्त किए जाने वाले शुल्कों की राशि, माध्यम (online / offline) एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान इत्यादि में पुनरीक्षण/संशोधन किए जाने की आवश्यकता पर विचारार्थ Apex Committee की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

3. उक्त के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प सं०-5188 दिनांक 15.06.2009 में गठित ई-क्रय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की दिनांक 20.03.2020 को सम्पन्न बैठक में ई-क्रय 2.0 प्रणाली को लागू करने का अनुशंसा प्रदान की गयी।

4. वर्णित स्थिति में राज्य सरकार के सभी विभाग/निगम/निकाय/बोर्ड इत्यादि संस्थानों में ई-क्रय 2.0 प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

5. ई-क्रय 2.0 प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत् है :-

(क)(i) निविदा निष्पादन शुल्क I-ई-क्रय 2.0 पर प्रकाशित होने वाले सभी निविदाओं का निविदा निष्पादन शुल्क निम्न रूप में पुनरीक्षित किया जाएगा :-

क्र० सं०	निविदा वैल्यू	वर्तमान TPF शुल्क / निविदाकार	संशोधित TPF शुल्क / निविदाकार
1.	70 लाख की सीमा तक	₹ 1,000.00 + टैक्स	₹ 500.00 + टैक्स
2.	70 लाख से अधिक एवं 3 करोड़ तक	₹ 5,000.00 + टैक्स	₹ 3,000.00 + टैक्स
3.	3 करोड़ से अधिक	₹ 15,000.00 + टैक्स	₹ 5,000.00 + टैक्स

(ii) निविदाकार निबंधन शुल्क I-ई-क्रय 2.0 पर प्रकाशित होने वाले सभी निविदाओं का निबंधन शुल्क निम्न रूप में पुनरीक्षित किया जाएगा :-

क्र०सं०	निविदा का प्रकार	वर्तमान शुल्क	पुनरीक्षित शुल्क
1.	नया	₹ 3,000.00 + टैक्स	₹ 1,000.00 + टैक्स
2.	नवीकरण	₹ 1,000.00 + टैक्स	₹ 500.00 + टैक्स

(ख) इस प्रणाली में अस्वीकृत निविदाओं के द्वारा समर्पित Earnest Money Deposit (EMD) को स्वतः रिफंड की व्यवस्था है। यदि किसी ऐसे अस्वीकृत निविदा पर पुनः विचार किया जा रहा हो, जिसके द्वारा समर्पित EMD को स्वतः Refund कर दिया गया है, तो निविदाओं का EMD Collection एवं Refund Manually किया जा सकेगा।

तत्पश्चात् सूचना प्रावधिकी विभाग/वित्त विभाग के नाम से एक "नोटल खाता" खोला जाएगा। विभागों के द्वारा अलग से बैंक खाता खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता उक्त एकाउंट के संचालन एवं रिफंड प्रसंस्करण हेतु प्राधिकृत होंगे।

(ग) इस प्रणाली के तहत मात्र ऑनलाईन विधि से समर्पित EMD ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक EMD जमा किया जाना आवश्यक हो, तो मात्र बैंक गारण्टी ही स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रणाली के तहत बैंक गारण्टी के ऑनलाईन सत्यापन की व्यवस्था होगी।

(घ) ई-क्रय 2.0 प्रणाली में निविदा संबंधी कालावधि का निम्न रूप से निर्धारण किया जाता है :-

क्र०सं०	निविदा का प्रकार	कालावधि
1.	वैश्विक	निविदा नोटिस के प्रकाशन से 4 सप्ताह
2.	खुली	निविदा नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह
3.	अन्य	निविदा नोटिस के प्रकाशन से 7 दिन

(ङ) यदि निविदाकार के द्वारा निविदा शुल्क जमा कर दिए जाने के पश्चात् निविदा नहीं समर्पित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त निविदा को खोले जाने के पश्चात् संबंधित निविदाकार को निविदा शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा।

6. उक्त के अतिरिक्त ई-क्रय 2.0 प्रणाली की अन्य विशिष्टियाँ निम्नलिखित हैं :-

(क) इस प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने हेतु इस प्रणाली में निविदा Encryption की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत निविदाकार को निविदा समर्पित कर अपने निविदा को अनिवार्य रूप से Encrypt करना होगा तथा निविदा खोले जाने की तिथि से पूर्व उसे Decrypt करना होगा। यदि निविदा खोले जाने की तिथि से पूर्व कोई निविदा Decrypt नहीं की जाती है, तो उसे असमर्पित समझा जाएगा। यह व्यवस्था तभी लागू की जाएगी जब संबंधित क्रय प्राधिकार इसके लिए प्रत्यक्ष अनुरोध करेंगे।

(ख) ऐसी स्थिति में, जो निविदाकार के नियंत्रण से बाहर हो, यदि निविदा को निरस्त कर दिया जाता है, तो निविदा अभिलेख शुल्क स्वतः वापस कर दी जाएगी।

(ग) प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विभागों के द्वारा निविदा निष्पादन से संबंधित जानकारी e-proc पोर्टल पर अद्यतन नहीं की जाती है, जिससे निविदाकारों के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न होता है। e-proc 2.0 प्रणाली पर यदि किसी विभाग के दो से अधिक ऐसे निविदा उपलब्ध होंगे, जिसका वित्तीय निविदा खोले हुए 20 दिन से अधिक बीत चुका हो, तो उस

- ऐसे विभाग/यूजर तब तक नयी निविदा प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, जब तक सूचनाएं अद्यतन नहीं कर दी जाए।
- (घ) निविदा विज्ञापनों में एकरूपता लाने तथा विज्ञापन की लागत को कम करने के लिए ई-क्रय प्रणाली 2.0 पर ऑनलाईन निविदा विज्ञापन सृजित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जा सकेगा।
- (ङ) विभागों में एवं ई-क्रय प्रणाली पर निविदाकारों के अलग-अलग निबंधन के स्थान पर एक केन्द्रीयकृत निबंधन की व्यवस्था लागू की जाएगी। अब निबंधन की प्रक्रिया ऑनलाईन की जाएगी तथा संग्रहित शुल्क भी ऑनलाईन विभागों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- (च) बैंक सर्वर एवं ई-क्रय सर्वर के मध्य NEFT / RTGS प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए भुगतानों का मिलान करने में होने वाले विलंब को ध्यान में रखते हुए निविदा बंद करने एवं निविदा खुलने के बीच कम से कम 48 घंटे का अंतराल रखना अनिवार्य होगा एवं भुगतान आरंभ करने वाले बैंक के सर्वर समय पर विचार किया जाएगा।
7. उक्त योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि०, पटना के द्वारा किया जाएगा।
8. संकल्प के प्रस्ताव में दिनांक 18.08.2020 को मद संख्या-18 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।
- बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 508-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>